कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षा शाला/सीएम राईज़/2022/ 7417 भोपाल,दिनांक 8/4/22

//कार्यवाही विवरण//

सी.एम. राईज में चयनित विद्यालयों के संचालन की गतिविधियों की समीक्षा दिनांक 29 मार्च 2022 को प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य द्वारा की गई। समीक्षा बैठक में आयुक्त, जनजातीय कार्य के साथ-साथ एप्को के अधिकारी एवं उक्त प्रोजेक्ट की राज्य स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में आयुक्त कार्यालय की ओर से सी.एम. राईज़ प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव महोदया द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. सी.एम.राईज़ विद्यालयो वाले स्थानों पर संचालित विभागीय अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों को सीएम राईज विद्यालय सं संबद्ध किया जाकर इन छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत, गैप फिलिंग एवं सुसज्जित किया जावे। छात्रावास में प्रवेश के लिये निर्धारित कक्षा में सीएम राईज विद्यालयो के प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने संबंधी निर्देश जारी किये जावें।
2. शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर चयनित प्राचार्यो / शिक्षको को पुन: विभागीय चयन परीक्षा से मुक्त रखा जाकर उन्हें विभागीय सीएम राईज संस्थाओं में रखे जाने संबंधी कार्यवाही की जावे।
3. सीएम राईज विद्यालय / छात्रावास में गैर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य वर्गों के प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने पर विचार किया जाए। इस हेतु रोगी कल्याण समिति एवं महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति के नियम निर्देश प्राप्त कर उनके अनुसार कार्यवाही की जावे।
4. सी.एम.राईज़ विद्यालय में प्राचार्य के साथ एक वरिष्ठ व्याख्याता अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक को उपप्रचार्य पद पर रखा जाये ताकि प्राचार्य की अनुपस्थित पर अथवा सेवानिवृत्ति पर उपप्राचार्य द्वारा संस्था के प्राचार्य पद का दायित्व निर्वहन किया जा सके।
5. सी.एम.राईज़ विद्यालय अंतर्गत कौन-कौन-सी सहायक शालायें जुडेंगी, इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये जाये एवं विद्यालयों की मैपिंग कराई जावे।
6. सी.एम.राईज़ योजना के प्रत्येक विद्यालय की एक गॉड फाईल मुख्यालय स्तर पर तैयार की जावे जिसमे विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी संकलित/संधारित रहे।
7. सी.एम.राईज़ विद्यालयो में प्रयोग शाला तथा पुस्तकालयों के मापदंड सी.बी.एस.ई द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही रखे जावे।
8. प्रथम चरण में 05 विद्यालयों के लिये परिवहन व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही प्रांरभ करने के निर्देश दिये गये।
9. सीएम राईज योजना अंतर्गत चयनित शिक्षकों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण की नीनि तैयार की जावे। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही प्रशिक्षण नीति का भी अवलोकन कर उसके बिन्दुओं को भी समाहित किये जावे।

10. सी.एम.राईज़ विद्यालयो के सुचारू संचालन हेतु अन्य राज्यों के लिए अध्ययन दल बनया जाकर अध्ययन हेतु भेजें जावें। प्रत्येक दल में अलग-अलग संभागों के संभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी, प्राचार्य आदि को सम्मिलित किया जावे।

11. सी.एम. राईज़ प्रोजेक्ट अतंर्गत चयनित विद्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी भवनों का चिन्हांकन किया जाकर उनके अपलेखन, विनिष्टीकरण एवं मलवा हटाने की कार्यवाही के लिए समय सीमा तैयार की जाकर विस्तृत निर्देश जारी किये जावें। विभाग के अन्य अनुपयोगी भवनों के लिए इस प्रकार की कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जावे।

12. सी.एम.राईज़ विद्यालय अंतर्गत जिला मुख्यालय के विद्यालयों के छोड़कर अन्य सीएम राईज विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार प्रचार्य एवं विद्यालय स्टाफ के आवास गृह प्लान में सम्मिलित किये जावें।

13. प्रत्येक विद्यालय के Concept - Plan पर जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की जावे जिसमें मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, महिला बाल विकास अधिकारी , सहायक आयुक्त, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, वास्तुविद, निर्माण एजेन्सी आदि उपस्थित रहें।

14. प्रत्येक सी.एम.राईज़ विद्यालय के स्थान का गूगल मैप, चयनित विद्यालय एवं फिडिंग स्कूल के फोटोग्राफ एवं एक शार्ट वीडियो उपलब्ध कराया जावे।

उक्त निर्देशों के साथ ही इस प्रोजेक्ट की समीक्षा निरंतर किजाये एवं प्रमुख सचिव महोदया को रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुये बैठक समाप्त की गई।

नोडल अधिकारी/उप आयुक्त
सी.एम राइज
राज्य स्तरीय समिति
जनजातीय कार्य म.प्र.

पृ.क्र./शिक्षा शाला/सीएम राईज़/2022/ 7418 भोपाल, दिनांक 8/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. राज्य स्तरीय सी.एम. राईज़ समिति जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. समस्त प्राचार्य सी.एम.राईज़ विद्यालय जनजातीय कार्य म.प्र.

नोडल अधिकारी/उप आयुक्त
सी.एम राइज
राज्य स्तरीय समिति
जनजातीय कार्य म.प्र.